न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

मु.न. 13/2016

उनवान

1. गैंदकंवर धर्मपत्नी स्व0 श्री नाहरसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम नृसिंहपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

——प्रार्थीया

बनाम

1. गोपाल पुत्र चन्द्रा
2. रामदयाल पुत्र चन्दा
3. नाथू पुत्र बंशी
4. माधो पुत्र बंशी
   समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम नृसिंहपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 14.12.2021

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 543 रकबा 1.46 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 548 रकबा 1.83 हैक्टेयर ग्राम नृसिंहपुरा, तहसील चौमूं जिला–जयपुर में स्थित है। जो प्रार्थीया की स्वामित्व की भूमि है, जो काश्त कर अपना जीवन यापन करती हैं तथा प्रार्थीया खातेदार काश्तकार है तथा खसरा नम्बर 543 मे पुख्ता मकान बनाकर मय परिवार निवास करती है।

आराजी खसरा नम्बर 530, 438 गै0मु0 रास्ता है। जिसमें सी01 सी0 रोड बना हुआ है। जिस पर आमद रफत चालू है तथा उक्त खसरा नम्बर 530 से लगती भूमि खसरा नम्बर 544 अप्रार्थीगण की खातेदारी काश्त की भूमि स्थित हैं। जिसके दक्षिणी सीमा जोड प्रार्थीया की खातेदारी खसर नम्बर 543, 548 स्थित है। खसरा नम्बर 543, 548 में आने जाने का रास्ता नही है तथा खेती करना दुर्भर हो रहा है तथा अन्य कोई रास्ता का विकल्प नही है तथा खसरा नम्बर 543, 548 काश्त के काम आ रही है।

खसरा नम्बर 544 की पूर्वी सीमा पर करीबन 130 मीटर की लम्बाई व चार मीटर की चौडाई कुल रास्ते की भूमि का क्षेत्रफल 520 वर्गमीटर बनता हैं, जो संलग्न नक्शे में लाल स्याही से प्रदर्शित किया गया है कि आवश्यकता है। खसरा नम्बर 544 में रास्ता कायम नही किया गया तो प्रार्थीया को काश्त करना असंभव हो जायेगा, जिससे परिवार का पालन पोषण ही दुर्भर हो जावेगा। दिनांक 30.09.2016 को अप्रार्थीगण से बातचीत की, आपकी जमीन से रास्ता दे दो, जिसके बदले में वाजिब कीमत अदा कर दूंगी। जिस पर स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया कि हमारी जमीन में से कोई रास्ता नही देगें, जिससे न्यायालय श्रीमान् के प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि खसरा नम्बर 544 में संलग्न नक्शे में बरंग लाल से प्रदर्शित रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान करें।

पत्रावली प्रस्तुत हुई। दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खसरा नम्बर 543 रकबा 1.46 हैक्टेयर गेंदकंवर बेवा नाहरसिंह, हरि सिंह पुत्र नाहर सिंह हिस्सा 1/2, दयाल सिंह पुत्र नाहर सिंह हिस्सा 1/4 व हिम्मत सिंह पुत्र नाहर सिंह हिस्सा 1/4 की खातेदारी में दर्ज हैं तथा खसरा नम्बर 548 रकबा 1.83 हैक्टेयर गेंद कंवर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2022.01.05 08:58:28 IST
Reason: SelfAttested

बेवा नाहरसिंह हिस्सा 1/4, हरिसिंह पुत्र नाहरसिंह हिस्सा 1/4, दयाल सिंह पत्र नाहरसिंह हिस्सा 1/4 व रामगोपाल पुत्र ग्यारसीलाल व रामेश्वर पुत्र नारायण जाति अहीर हिस्सा 1/4 राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। प्रार्थीया अकेली उक्त भूमि की खातेदारणी व अन्य सह खातेदार भी हैं, प्रार्थीया ने न्यायालय के समक्ष स्वंय को अकेला खातेदार बताकर प्रार्थना पत्र पेश किया हैं, जो पूर्णतया गलत हैं।

अप्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नम्बर 530 से लगती हुई नही है। खसरा नम्बर 544 के अप्रार्थी संख्या 1 से 4 खातेदार हैं। जिनके मध्य खातेदारी का विवाद होने के कारण न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं के यहां तकासमें का दावा गोपाल सिंह बनाम रामदयाल के नाम से लम्बित हैं। जिसमे न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया हैं। जो वर्तमान में भी प्रभावी हैं। खसरा नम्बर 544 से लगते हुए खसरा नम्बर 543 व 548 की खातेदारी की भूमि स्थित हैं, जिसके खातेदारान का स्पष्ट विवरण जवाब प्रार्थना पत्र के मद संख्या 1 में दिया गया हैं। यहा यह स्पष्ट करना भी आवश्यक हैं। की खसरा नम्बर 543 व 548 के उत्तर की ओर खसरा नम्बर 547 व 547/770 तोपसिंह पुत्र बन्यासिंह व कल्याणसिंह पुत्र बन्यासिंह की खातेदारी की भूमि हैं। जो प्रार्थीया के परिवार के सदस्य हैं तथा प्रार्थीया उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान् में से आती जाती हैं।

प्रार्थीया व अन्य खातेदार अर्सा दराज से खसरा नम्बर 547 व 547/770 में से अपनी खातेदारी में आ-जा रहे हैं तथा काश्त कर रहे हैं। जिसमें प्रार्थीया व अन्य खातेदारान को कोई परेशानी नही हो रही हैं।

प्रार्थीया ने खसरा नम्बर 543 व 548 के अन्य खातेदारान् को पक्षकारान नही बनाया हैं, जिससे यह स्पष्ट हैं, की अन्य पक्षकारान् को रास्ते की कोई आवश्यकता नही है तथा खसरा नम्बर 547 व 547/770 में से सुलभ रास्ता होने के कारण आ-जा रहे हैं। प्रार्थीया को कोई रास्ते की आवश्यकता नही हैं, प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण को हैरान, परेशान करने के लिये झूंठे तथ्य अंकित कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। खारिज होने योग्य हैं।

अतः प्रार्थना पत्र का उत्तर मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क)राज0 काश्तकारी अधि0 मय हर्जा-खर्चा खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संघ अभियान कैम्प कोर्ट नृसिंहपुरा में पेश हुई। उभयपक्षकारान जरिये अधिवक्ता उपस्थित है। पत्रावली के संबंध में तहसीलदार चौमूं से रिपोर्ट दिनांक 10.02.2021 प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 543, 548 में रास्ता चाहा गया है उक्त खसरा नम्बरों की खातेदारी मुताबिक जमाबन्दी खाता संख्या 21, 22 खातेदारों के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त खसरा नम्बर 544 रकबा 1.7800 है0 में से लम्बाई 130 मीटर X 4 मीटर = 520 वर्ग मीटर (0.0520 है0) रास्ता हेतु प्रस्तावित रास्ता चाहा है जो खाता 23 ग्राम नृसिंहपुरा खातेदारों के नाम है।

उक्त खसरा नम्बर 544 में से जो [illegible] गया है वह संलग्न नक्शे अनुसार प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित रास्ता ही [illegible] है [illegible] वैकल्पिक रास्ता 1 कि0मी0 लम्बा है एवं अन्य खातेदारों द्वारा [illegible] की डी0एल0सी0 दर पंजियन कार्यालय गोविन्दगढ की डी0एल0सी0 सूची अनुसार रूपये 1629084/- किस्म बारानी है।

अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत आपत्ति पटवारी रिपोर्ट दिनांक 02.02.2021 का पेश किया। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा दृष्टांत संशोधित मीमो माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर निगरानी/टी0ए0/संख्या 2524/2016/जयपुर उनवानी कोयली देवी बनाम बरफू देवी व अन्य में निर्णय दिनांक 21.11.2016 एवं High court of Judicature for Rajasthan Bench at Jaipur,

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2022.01.05 08:58:28 IST
Reason: SelfAttested

S.B. Civil Writ Petition No. 2656/2020, Koyali devi vs Barfi devi order date 04-03-2020 पेश किया है।

प्रा0 पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, जवाव प्रार्थना पत्र तहसीलदार चौमूं द्वारा पेश रिपॉर्ट, नक्शा ट्रेस, आपत्ति पटवारी रिपोर्ट दिनांक 02.02.2021, प्रस्तुत दृष्टांत का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र वावत आपत्ति पटवारी रिपोर्ट दिनांक 02.02.2021 का खारिज किया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र में मुख्य रूप से निम्न बाते देखे जाने योग्य है–

1. क्या चाहा गया रास्ता कृषि कार्य हेतु ही प्रयुक्त होना है ?
2. आवेदक/प्रार्थी की जोत तक पहुंचने का कोई भी मार्ग उपलब्ध नहीं हैं ?
3. यदि एक से अधिक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है तो कौन सा मार्ग न्यूनतम दूरी का हैं ?

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, रिपोर्ट तहसीलदार चौमूं के अवलोकन किया गया। प्रशासन गावों के संघ अभियान के दौरान राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप वादो/दावो के निस्तारण हेतु उभयपक्षकारों की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 69 (पूछताछ एवं आवेदन पत्र का निपटान) के अनुसार पिठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 14.12.2021 को स्वयं मौका निरिक्षण किया गया। जिसमें प्रार्थी के पास कोई वैकल्पीक रास्ता नही होना पाया गया एवं तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट दिनांक 10.02.2021 के अनुसार चाहा गया रास्ता ही कम दुरी का होना पाया गया। अधिवक्ता उभयपक्षकारान की वहस पर विचार करने पर न्यायालय का यह अभिमत है कि प्रार्थीया द्वारा चाहा गया रास्ता कृषि कार्य हेतु प्रयुक्त होना है। आवेदक का जोत तक पहुचने का कोई भी मार्ग उपलब्ध नही है। तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट अनुसार कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही है तथा प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता न्युन्तम दुरी का है। प्रार्थीया को अपनी भूमि पर काश्त करने हेतु रास्ता की भूमि का मुआवजा डीएलसी की दर का दो गुणा राशि अप्रार्थीगण को हिस्से अनुसार दिलाया जाकर तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट दिनांक 10.02.2021 के अनुसार संलग्न नक्शे में लाल स्याही से प्रदर्शित खसरा नम्बर 544 रकबा 1.7800 है0 में से लम्बाई 130 मीटर x 4 मीटर = 520 वर्ग मीटर (0.0520 है0) भूमि रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रा0 पत्र 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता हैं तथा मुताबिक रिपार्ट तहसीलदार चौमू दिनांक 10.02.2021 के अनुसार वाके ग्राम नृसिंहपुरा तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित संलग्न नक्शे में लाल स्याही से प्रदर्शित खसरा नम्बर 544 रकबा 1.7800 है0 में से लम्बाई 130 मीटर x 4 मीटर = 520 वर्ग मीटर (0.0520 है0) भूमि का मुआवजा वर्तमान DLC दर के दो गुनी दर से भूमि कीमत लगभग 169430/– रूपये शब्दों में एक लाख उनहतर हजार चार सौ तीस रूपये अप्रार्थीगणों को उनके दर्ज हिस्से अनुसार भुगतान करने के आदेश दिये जाते हैं तथा तहसीलदार चौमू को उक्त राशि जमा कर अप्र[illegible] उनके दर्ज हिस्से अनुसार भुगतान करने एवं संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार [illegible] के आदेश दिये जाते हैं। नक्शा ट्रेस निर्णय का भाग रहेगा। पालना के लिए तहसीलदार चौमू को निर्णय की प्रति भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 14.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

राहुल जैन
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2022.01.05 08:58:28 IST
Reason: SelfAttested